अनिता कुमारी बनाम मनोहरी देवी आदि
2023/23
निर्णय दिनांकः–23.01.2023

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/35 दर्ज तिथिः– 17.06.2025

1. अनिता कुमारी पत्नी श्री सुभाष चौधरी जाति जाट निवासी वार्ड नं. 02 जाटावास रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. मंनोहरी देवी पत्नी मुकनाराम जाति जाट निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर तहसील व जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री शिवगौतम सोलंकी
अप्रार्थीगणः– श्री सुरेन्द्र डूडी
श्रीमती सुनिता जांगिड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 17.10.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 113/7.6637 हैक्ट. वाके श्योपुरा पटवार हल्का रतननगर तहसील चूरू में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 शामिल प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थीया की एकल कृषि भूमि है प्रार्थीया के ही कब्जा, काश्त, खातेदारी निर्बाद्ध रूप से चली आ रही है। प्रार्थीया अनिता कुमारी ने एक प्रार्थना–पत्र सीमा ज्ञान बाबत दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर प्रार्थीया द्वारा सीमा ज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया जिस पर तहसीलदार कार्यालय चूरू द्वारा रिपोर्ट कर हल्का [illegible] दिनांक 05.12.2022 के आदेश के संदर्भ में उक्त कृषि भूमि का सी[illegible] [illegible] यह कहा कि उक्त भूमि मौके पर जरीब चलाकर उपस्थित [illegible] की गई तथा यह भूमि मौके के रकबे के अनुसार मौके पर कम है तथा उपस्थित लोगों को पढ़कर सुनाया गया तथा [illegible] भी करवाये गये जबकि प्रार्थीया की भूमि 7.6637 हैक्ट. [illegible]स्व रिकॉर्ड में है एवं रा[illegible] रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार भूमि मौके पर कम है। उक्त खसरे में सीमा ज्ञान के दौरान मुताबिक रिकॉर्ड के मौके पर रकबा कम है। जिसके बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरीगढ़ी के लिए यह प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जिसके साथ इस उक्त सीमा ज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त कृषि भूमि की उत्तरी पश्चिमी सींव क्षतिग्रस्त, क्षीण व जर्जर हालत में है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके। प्रार्थीया की उपर्युक्त वर्णित सींव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थीया के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत पेश किया जा रहा है। प्रार्थीया एक सभ्य एवं भोली–भाली कृषका है मगर मौके पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थीया के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा नम्बर 113 तादादी 7.6637 हैक्ट. रोही ग्राम श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.) का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीया को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे। सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण संख्या 03 बनाया गया है। प्रार्थीया पत्थरगढ़ी व सीमा ज्ञानके लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी। विवादित कृषि भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना–पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना–पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा नं. 113 तादादी 7.6637 हैक्ट. रोही ग्राम श्योपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.) का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे एवं प्रार्थीया उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखित प्रार्थना–पत्र तहसीलदार को दिया जाना बताया गया है वह प्रार्थना–पत्र व उसके आधार हल्का पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान करवाना व रिपोर्ट पेश करना प्रार्थीया की भूमि कम होना सीमा ज्ञान की रिपोर्ट पेश करना ये तमाम कृत्य प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया सं. 1 की गैर मौजूदगी में बाला बाला किए गए है जिनसे अप्रार्थीया सं. 1 व उसकी खातेदारी की कृषि भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है।

प्रार्थीया की कृषि भूमि की उत्तरी पश्चिमी सींव न तो क्षतिग्रस्त है न क्षीण है व नही जर्जर हालत में है सीवें सही व स्पष्ट है प्रार्थीया की कृषि भूमि की उत्तरी–पश्चिम तरफ की सीवों को छोड़कर दूसरे तरफ की सीवें जरूर अस्पष्ट व क्षतिग्रस्त है प्रार्थीया द्वारा बाला बाला ही अप्रार्थीया सं. 1 की अनुपस्थिति में किए गये नाप [illegible]र बना कर सिर्फ ओर सिर्फ एक खेत पड़ौसी अप्रार्थीया सं. 1 को [illegible] किया है वह इम्प्रोपर, प्रभावहीन विधि विरूद्ध है ऐसे प्रार्थ[illegible] होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश करने के बाद स्वयं ने अपनी कृषि भूमि की उत्तरी पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

सीवों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है व उक्त सीवों को अस्पष्ट व क्षीण कर अप्रार्थीया सं. 1 की कृषि भूमि में बढ़ने का प्रयास कर रही है इस हेतु झूठा प्रार्थना—पत्र पेश किया है। प्रार्थीया बहुत ही चतुर है प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं. 1 की कृषि के बीच की सीवों के साथ छेड़खानी का प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना—पत्र पेश करने के बाद लगातार कोशिश की जा रही है। प्रार्थीया द्वारा अपनी ऊपर वर्णित कृषि भूमि पर ट्यूबवेल बना कर सिंचाई कर फसले उगाई जा रही है इस हेतु प्रार्थीया ने अपनी कृषि भूमि में स्थित रेत के टिल्लो को मोटर चला कर पानी से काट कर समतल कर लिया है टिल्लो की भूमि को काट कर समतल करने पर भूमि का रकबा कम होना स्वभाविक है व वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा रकबा कम होना ही पाया जाता है प्रार्थीया ने ऐसी स्थिति में कम हुए रकबा को अप्रार्थीया सं. 1 की कृषि भूमि व प्रार्थीया की कृषि के बीच उत्तरी पूर्वी तरफ की सीवें गलत व झूठे रूप से क्षीण जर्जर व क्षतिग्रस्त बताकर अप्रार्थीया सं. 1 कृषि भूमि को विधि विरूद्ध हड़पने के लिए यह झूठा प्रार्थना—पत्र पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा सीमा ज्ञान संबंधी विवाद मिटाने के लिए नहीं बल्कि झूठा विवाद बता कर यह झूठा प्रार्थना—पत्र पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा राजस्थान सरकार को पक्षकार प्रार्थना—पत्र बनाते हुए राजस्थान सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना जो यह प्रार्थना—पत्र पेश किया है वोह कानूनन चलने योग्य नहीं है खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीया द्वारा अपनी कृषि भूमि ख.नं. 113 में टयूबवेल बनाकर सिंचाई कर फसले उगा रही है जिसके चलते प्रार्थीया ने अपनी उक्त कृषि भूमि जिस पर कुछ स्थानों पर रेत के टिल्ले थे को मोटर से पानी चलाकर रेत के टिलों को काट कर अपनी कृषि भूमि को समतल किया है टिब्बों को समतल करने पर भूमि को नापने पर अन्तर आना स्वाभाविक है। इस प्रकार से कम हुई को अप्रार्थीया सं. 1 के खेत के लगती सीवों को क्षीण व जर्जर बताकर प्रार्थीया की भूमि को हड़पने के लिए यह प्रार्थना—पेश किया गया है। प्रार्थी की विवादित कृषि भूमि की उत्तरी पूर्वी तरफ की सीवें के अलावा अन्य दिशाओं में भी अन्य खातेदारों के खेतों की सीवें लगती है प्रार्थीया द्वारा जानबूझ कर उन खातेदारान को पक्षकार प्रार्थना—पत्र नहीं बनाया गया है ऐसा करना नोन जाईन्डर मिस ज़ोईन्डर ऑफ पार्टीज का अहम कानूनी नुक्स है। अप्रार्थीया सं. 1 की कृषि भूमि ख.न. 220 / 118 तादादी 1.3784 हैक्ट. व ख.नं. 219 / 118 तादादी 1.3784 हैक्ट रोही मोजा श्योपुरा की खातेदार काबिज काश्तकार है उक्त वर्णित कृषि भूमियां राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक ने होकर मौका पर कम है। अप्रार्थीया सं. 1 व अपने मध्य उत्तरी पश्चिमी सीवों को झूठा क्षतिग्रस्त क्षीण जर्जर बताकर गलत तथ्यों व कथनों के आधार पर प्रार्थना—पत्र पेश किया है वह खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी सं. 02 को विधिवत तामिल हो चुकी है व अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व प्रार्थना—पत्र में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.*** *—(1) In case of any dispute concerning any boundary the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 113 / 7.6637 हैक्ट. वाके श्योपुरा पटवार हल्का श्योपुरा तहसील चूरू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके श्योपुरा के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार निशानदेही करवा दी गई। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र उक्त कृषि भूमि की उत्तरी पश्चिमी सींव क्षतिग्रस्त, क्षीण व जर्जर हालत में है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये प्रार्थीया की भूमि 7.6637 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में है एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि मौके पर कम है। उक्त खसरे में सीमा ज्ञान के दौरान मुताबिक रिकॉर्ड के मौके पर रकबा कम है। जिसके बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरीगढ़ी के लिए यह प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी अधिवक्ता के अनुसार समस्त हिदबद्ध पक्षकारों को संयोजित नहीं किया गया। समतलीकरण [illegible] प्रार्थी का रकबा कम हुआ है। प्रार्थी को बेदखली का दावा करना चाहिए था। [illegible] को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना जो यह प्रार्थना–पत्र पे[illegible] भूमि ख.न. 220 / 118 तादादी 1.3784 हैक्ट. व ख.नं. 219 / 118 तादादी 1.3784 [illegible] रोही मोजा श्योपुरा की खातेदार काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार है उक्त वर्णित कृषि भूमियां राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक ने होकर मौका पर कम है। अप्रार्थीया सं. 1 व अपने मध्य उत्तरी पश्चिमी सीवों को झूठा क्षतिग्रस्त क्षीण जर्जर बताकर गलत तथ्यों व कथनों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

7. प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना–पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थी की भूमि की उत्तरी पूर्वी सीमा क्षतिग्रस्त होना बताया है व पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान करवाकर चिन्ह निर्धारित किए गए हैं परन्तु प्रार्थी द्वारा मौके पर भूमि कम होना बताया है पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 की ओर से आपति की गई है कि प्रार्थीया की भूमि समतलीकरण के कारण कम हुई है प्रार्थीया की उत्तरी पूर्वी सीमा क्षतिग्रस्त, जर्जर, क्षीण नहीं है व प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को 80 सीपीसी का नोटिस दिये बगैर ही पत्थरगढी का प्रार्थना–पत्र पेश किया है प्रार्थी को पत्थरगढ़ी का प्रार्थना–पत्र न पेश कर बेदखली का दावा पेश किया जाना चाहिए था इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जावे। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से रहनकर्ता बैंक की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया परन्तु जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया इसलिए इसका जवाब बन्द किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार है सीमा को लेकर विवाद बताया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा भूमि के समतलीकरण से रकबा कम का कथन किया गया है परन्तु इसके समर्थन में न ही कोई दस्तावेज पेश किया गया है ना ही कोई दृष्टांत पेश किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि भूमि के समतलीकरण से रकबा कम होता हो। अप्रार्थी सं. 3 को 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है परन्तु अप्रार्थी सं. 3 के खिलाफ किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। हालांकि प्रार्थी द्वारा खेत की चारों सीमाओं से लगते हुए हितबद्ध खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है परन्तु पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सीमा से लगते हुए समस्त काश्तकारों की उपस्थिति में करवाई जानी है इसलिए पत्थरगढ़ी जैसे किसानों के हित के कार्य में तकनीकी बिन्दु पर प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं मानता है। हालांकि अप्रार्थी की ओर से बेदखली का दावा किये जाने की आपति की है परन्तु न तो प्रार्थना–पत्र में तथा न ही जवाब प्रार्थना–पत्र में कहीं अंकित नहीं किया गया है कि अप्रार्थी की ओर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा किया हुआ है इसलिए इस प्रकार के अनुतोष प्राप्त किये जाने के सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। अप्रार्थीया द्वारा स्वयं की भूमि कम होना बताया गया है जिसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 2 रहनकर्ता बैंक है जिसकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही पत्थरगढ़ी जैसी कार्यवाही से रहनकर्ता बैंक के हितों पर कोई विपरित प्रभाव पड़ने वाला है। प्रार्थीया द्वारा पत्रावली सीमा ज्ञान की रिपोर्ट व अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब से प्रार्थीया व अप्रार्थीया के मध्य सीमा को लेकर विवाद होना स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा संख्या 113/7.6637 हैक्ट. वाके श्योपुरा पटवार हल्का श्योपुरा तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 113 तादादी 7.6637 हैक्ट. वाके श्योपुरा पटवार हल्का श्योपुरा तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 17.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:11 IST
Reason: SelfAttested